निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :–126/21
दायरा दिनांक :–14.09.21
निर्णय दिनांक :– 28.10.22

उनवान

हरपाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान

–वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :– 28.10.22

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अरविन्द सिंह हाडा एड0 – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,90,91,92,188 आर टी एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया किवर्तमान जमाबन्दी खाता सं0 417 पुराना 1 में वर्णित आराजी खसरा नं0 223/667 की रकबा 0.20 है0 वाके कोटडी सूण्डा पटवार हल्का कोटडी सूण्डा भू अभिलेख निरीक्षक कोयला तहसील बारां जिला बारां राज0 में स्थित है, उक्त वर्णित आराजी राजस्व सरकार में सरकार खाता दर्ज है, जिसे आगे विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वर्तमान जमाबन्दी खाता सं0 417 पुराना 1 में वर्णित आराजी ख0 नं0 223/667 की रकबा 0.20 है0 में से 0.16 हे0 आराजी वाके ग्राम कोटडी सूण्डा पटवार हल्का कोटडी सूण्डा भू अभिलेख निरीक्षक कोयला तहसील बारां जिला बारां राज0 पूर्व में उबड खाबड नाल–खाल के रूप में थी जिसे वादी के पिता द्वारा काफी जी तोड मेहनत करके आज से करीबन 32 वर्ष पूर्व पैसा लगाकर कृषि योग्य बनाया है तथा विगत 18–20 वर्षो से वादी उक्त आराजियात में काश्त करके अपना व अपने परिवार का पेटपालन करता चला आ रहा है जिसे करीबन 18–20 वर्षो का अर्सा हो चुका है तथा इससे पूर्व वादी के पिता काबिज काश्त थे तथा वर्तमान में वादी ही उक्त आराजियात पर काबिज काश्त है तथा उक्त आराजियात का वादी व उसके पिता निरन्तर जुर्माना राशि भी प्रतिवादी के यहां जमा करवाता चला आ रहा है जिसकी रसीदें वादी के पास मौजूद है तथा वादी भूमिही कृषक व्यक्ति है उक्त आराजियात के अलावा वादी के पास में कोई जमीन नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:27:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

है, इसी जमीन से वादी व उसके परिवार का पेटपालन होता है। उक्त आराजी पर आज तक निरन्तर बिना किसी बाधा व रूकावट के वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है तथा इस वर्ष भी वादी ने उक्त आराजी में फसल बोयी व काटी है। उक्त वर्णित आराजियात के आस पास कृषि भूमि स्थित है।

आराजी पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी उक्त आराजी पर वादी को खातेदार घोषित करवाने का अधिकार प्राप्त हो चुका है। तथा वादी का उक्त आराजी पर काफी लम्बे समय से कब्जा काश्त होने से उसके खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। तथा वादी व उसके पिता का नाम उक्त वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड खसरा परिवर्तन में निरन्तर दर्ज चला आ रहा है तथा यदि सरकार द्वारा वादी के कब्जे काश्त की जमीन को अन्यत्र व्यक्ति को आंवटन कर दिया गया व वादी को उक्त आराजी से बैदखल कर दिया गया तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा कई वाद विवादों में उलझना पडेगा। इसलिये वादी उक्त वर्तमान जमाबंदी खाता सं0 417 पुराना 1 में वर्णित आराजी खसरा नं0 223/667 की रकबा 0.20 है0 वाके कोटडी सूण्डा पटवार हल्का कोटडी सूण्डा भू अभिलेख निरीक्षक कोयला तहसील बारां जिला बारां राज0 में से 0.16 हे0 आराजी का स्वयं खातेदार घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है क्योंकि वादी द्वारा पूर्व में कई बार उक्त आराजी को स्वयं के नाम आंवटन कर खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु निवेदन कर चुका है कितुं आज तक भी प्रतिवादी ने कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है

दिनांक 05.09.2021 को प्रतिवादी द्वारा वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी देने व प्रतिवादी के राजस्व कर्मचारीयों द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने से मना करने पर बारां तहसीलदार बारां में अतिंम बार वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजि0 कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम कोटडी सुण्डा सम्वत् 2071–74 खाता सं0 417, साक्ष्य वादी में हरपाल का शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कोटडी सुण्डा में स्थित है। विवादित आराजी ख0 नं0 223/667 रकबा 0.20 हे0 पर वादी का 18–20 साल से कब्जा चला आ रहा है। वादी भूमिहीन कृषक है। वादी के पास उक्त आराजी के अलावा और कोई कोई भूमि नहीं है इसी भूमि से वादी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। वादी को एडर्वस पजेशन के आधार पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:37:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
वारॉं

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम कोटडी सुण्डा सम्वत् 2071–74 खाता सं0 417 के अनुसार विवादित आराजी चारागाह दर्ज रिकार्ड है। चारागाह भूमि प्रति बन्धित भूमि है। चारागाह भूमि का आवंटन, नियमन व खातेदारी नहीं दी जा सकती है। वादी द्वारा तथ्यहीन एवं सारहीन दावा पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित है।

कियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचना अनुसार वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिकी पर्चा जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:27:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

द संख्या 126/2021	अन्तर्गत 88,89,90,91,92,188, आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक :– 28.10.20222
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:–श्री अरविन्द सिंह हाडा एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

हरपाल पुत्र श्री पन्नालाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटडी सूण्डा तहसील बारां जिला बारां राजस्थान –वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां जिला बारां –प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेषित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेष मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.10.2022 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.21 10:27:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner